TaxcodeIN | www.taxcode.in

Note: The principal notification No. 2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* Notification No. 25/2018 Central Tax (Rate) dated 31st December, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number GSR 1262 (E), dated the, 31st December, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

संख्या 15/2019 -एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 713 (अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 667 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,-

(i) क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"57क	0813	शुष्क इमली";

(ii) क्रम संख्या 114 ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"114ग	46	सभी प्रकार की पत्तियों/फूलों/छालों से बने प्लेट्स और कप्स";

2. यह अधिसूचना 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं.- 354/131/2019-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 674 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 25/2018-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 31 दिसम्बर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1262 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2019

No. 15/2019-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 713(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of

TaxcodeIN | www.taxcode.in

TaxcodeIN | www.taxcode.in

Revenue), No.2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 667 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, -

(i) after S. No. 57 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"57A	0813	Tamarind dried";

(ii) after S. No. 114B and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"114C	46	Plates and cups made up of all kinds of leaves/ flowers/bark";

2. This notification shall come into force on the 1st October, 2019.

[F.No. 354/131/2019-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note: - The principal notification No.2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by notification No. 26/2018-Integrated Tax(Rate), dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1265(E), dated the 31st December, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

सं. 15/2019-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 714(अ).—संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 711(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,-

(i) क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"57क	0813	शुष्क इमली";

(ii) क्रम संख्या 114 ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"114ग	46	सभी प्रकार की पत्तियों/फूलों/छालों से बने प्लेट्स और कप्स";

2. यह अधिसूचना 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/131/2019-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

TaxcodeIN | www.taxcode.in